

टीप- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33 (7) के अनुसार पीडिता की पहचान प्रकट न करने के लिये निर्णय अपलोड नहीं किया जा रहा है ।